## OFFICE OF THE DIRECTOR OF LOCAL BODIES (GOVT. OF NCT OF DELHI) 9<sup>TH</sup> LEVEL, C-WING, DELHI SACHIVALAYA I.P. ESTATE, NEW DELHI-110002

F. No. PA/AD/LB/2018/ 5660-10

Tα

- 1. The Commissioner, North DMC, Dr S.P.M. Civic Centre, New Delhi.
- 2. The Commissioner, South DMC, Dr S.P.M. Civic Centre, New Delhi.
- 3. The Commissioner, East DMC, 419, Patparganj Industrial Area, Delhi.

Sub: Amendment of Recruitment rules for the post Assistant Director of Education (Physical) in North, South & East Delhi Municipal Corporation Sir,

directed to find enclosed herewith Notification for amendment of Recruitment Rules for the post of Assistant Director of Education (Physical) for three Municipal Corporations which has been Notified in Govt. Gazette on 07.05.2018 vide this office Notification No F4(3)/Rr/LB/2018/CD-000250424/5101-09 under Section 98 & 480 of DMC Act 1957 for taking necessary action.

Yours faithfully,

(PAWAN CHOPRA) Dy. Director (Local Bodies)

## Copy to:

Sh. Manoj Kumar, Under Secretary (RRs Branch), Union Public Service Commission, Dholpur House, Shahjahan Road, New Delhi.

The Programmer, Urban Development Department, Govt. of NCT of Delhi , 9<sup>th</sup> Level, Delhi Secretariat, New Delhi

## **GOVERNMENT OF INDIA**



्र असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं, 101] No. 101] दिल्ली, मंगलबार, मई 8, 2018/वैशाख 18, 1940

MA

[ स.स.स.क्षे.दि. सं. 515

DELHI, TUESDAY, MAY 8, 2018/VAISAKHA 18, 1940

[N.C.T.D. No. 515

भाग—IV PART—IV

🍇 शहरी विकास विमाग

(कार्यालय निदेषक स्थानीय निकाय)

वधिसूचना

विल्ली, 7 मई, 2018

संफार 4(30) / आरआर / एलबी / 2018 / सीडी-000250424 / 5101-09. —दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 (1957 का 66) की धारा 480 की उपधारा (2) तथा धारा 484क की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 98 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 27 मार्च, 1995 की अधिसूचनां सं0 13(103) / 99 / यूडी के अनुसार अधिसूचित सहायक निदेषक, शिक्षा (शारीरिक) के पद से संबंधित नर्ती विनियमों के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई बाते या हटाई जाने वाली बातों को छोड़कर, संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श के पश्चात् तथा गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 19 अक्टूबर, 1966 की अधिसूचना सं0 एसओ 3159 के साथ पठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के अनुमोदन के पश्चात् उत्तर, दक्षिण तथा पूर्व दिल्ली नगर निगमों में सहायक निदेशक, शिक्षा (शारीरिक) के पद की नर्ती पद्धित को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्-

- 1. **संक्षिप शीर्षक तथा प्रारंस** (1) इन विनियमों को **सहायक निदेशक, शिक्षा (शारीरिक)** भर्ती विनियम, 2018 कहा जाये।
  - (2) ये दिल्ली राजपत्र में उनके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर :- उक्त पदों की संख्या, इसका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर, उसके साथ संलग्न इन विनियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 से 4 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 3. **मर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं इत्यादि** :- उक्त पद की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं तथा उससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम 5 से 13 में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

- अयोग्यता :- कोई भी व्यक्ति
  - जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया है जित्तका जीवित पति/पत्नी हैं; या

(ख) जिसने जीवित पत्नी/पति के रहते हुए किसी अन्य व्यक्ति के साथ विवाह किया है, वह उन्ते पद पर नियुक्ति के लिये अयोग्य होगा उपबर्ख है कि सरकार यदि इस बात से संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति या अन्य पार्टी पर लागू व्यक्तिगत कानून के अन्तर्गत अनुमति योग्य है तथा ऐसा करने के अन्य आधार हैं तब किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रचालन से छूट प्रदान की जा सकती है।

- **घूट प्रदान करने की शक्ति :-** जहां राश्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का मत है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है तो वह आदेश द्वारा तथा कारणों को लिखित में अमिलेखबद्ध करते हुए तथा संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्व से तथा सरकार के पूर्व अनुमोदन से व्यक्तियों के किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन विनियमों के उपवधों से छूट प्रदान कर सकती है।
- बचाव :- इस विनियम में कोई भी बात इस संबंध में भारत सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मृतपूर्व सैनिक तथ्य अन्य विशेष व्यक्तियों के वर्गों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट एवं अन्य रियायतों पर प्रमाव नहीं डालेगी।

		. 3	नुस् <b>र्वी</b>
9,	पदनामः		सहायक निदेशक, शिक्षा (शारीरिक)
2.	पंचीं की संख्या	*	12 (2018)
1			* इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्मर है।
			(उत्तर दिल्ली नगर निगम <del>-8</del> े
		i	दक्षिण दिल्ली नगर निगम —
			पूर्व दिल्ली नगर निगम-2)
3.	वर्गीकरण का विकास करें	į	श्रेणी, क
4. ::	वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तरी	<u> </u> :	वेतन स्तर-11
5.	क्यां चयन मैरिट के आधार पर है या चयन एवं वरिष्ठता या गैर् चयन पद	i.	चयन
8.	सीधी भर्ती वाले चम्मीदवारों के लिए आयु सीमा	:	40 वर्ष से अधिक नहीं
1	The second of the second of	8	(केन्द्रीय सरकार द्वारा जार्थ आर्दशौ या अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक शिथिलनीय)
			नोट :-आयु सीमा निर्धारित करने के लिए मान्य तारीख वही होगी जो
			भारत में रह रहे उम्मीदवारों के आवेदन पत्र प्राप्त करने की अंतिम
1			तिथि होगी, लेकिन यह असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, निजोरम, मणिपुर, नागालँड, त्रिपुरह सिक्किम, जम्मू व कश्मीर राज्य की लददाख
			सब डिवीजन, हिमाचल प्रदेश का लाहौल व स्पीति जिला तथा चंबा
÷			जिले की पांगी सब डिवीजन द अण्डमान निकोबार द्वीप समूह, लक्ष्यदीप के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित अंतिम तारीख नहीं है
7.	सीधी मर्ती वाले चम्मीदवारों से अपेकित शैक्षिक तथा	: :	अनिवार्य :
3	<b>अन्य यो</b> ग्यता <b>एँ</b>		(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में स्नातकोत्तर
A TOTAL			चपाचि
		· Č	अथवा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातकोत्तर उपाधि तथा किसी
15			मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से शारीरिक शिक्षा में उपाधि
			(ii) शैक्षणिक संस्थानों में शारीरिक शिक्षा में प्रशिक्षण प्रदान करने का
			सात वर्ष का अनुभव अथवा दो वर्षीय प्रशासनिक अनुभव सहित युवा कल्याण कैम्प।
			वांछनीय :
			(i) शिक्षा में उपाधि
L:			(ii) मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट उपाधि अधवा समकक्ष

	A STATE OF THE STA		
			टीए—1. अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में योग्यताएं संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।  टीए—2. यदि चयन की किसी अवस्था में संघ लोक सेवा आयोग के अभिमल से अनुसूचित जाति अजनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को मरने के लिए अपेक्षित अनुमक रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्यान संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं कारणों को लिखित में अमिलेखबद्ध करते हुए संघ लोक सेवा आयोग के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	आयुः नहीं शैक्षणिक योग्यताः हाँ
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	सीधी भर्ती हेतु एक वर्ष
10.	मर्ती की पद्धित सीधी मर्ती द्वारा या पदोन्नित द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा विभिन्न पद्धितयों से मरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	75प्रतिशत पदोन्नित द्वारा 25प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
11.	यदि पदोन्नवि / प्रतिनियुक्ति / समावेशन द्वारा फर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नवि / प्रतिनियुक्ति / समावेशन किया जाना है		पदोल्लिः नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् ग्रेड में पांच वर्ष की सेवा सहित वेतन मैद्रिक्स के स्तर-10 में स्कूल निरीक्षक (शारीरिक)। टीप-1: जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्डक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोल्लि के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोल्लि के लिए विचारणीय होंगे बशतें कि उनके लिए अपेक्षित अर्डक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष हैं कुन न हों और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोल्लि के लिए अपनी परिवेक्षा अवधि अपने कलिख अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो. जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो. जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारियों उत्तरी अर्डक के पात्रता पहले हैं पूरी कर ली है।
4	थिंदि कोई विनागीय पर्यान्तित समिति हो ते इसकी संरचना क्या डे?		"क" वर्गीय विमाणीय पदोन्निति समिति :  1. आयुक्त, उत्तर दिल्ली नगर निगम — सदस्य  2. आयुक्त, दक्षिण दिल्ली नगर निगम— सदस्य  3. आयुक्त, पूर्व दिल्ली नगर निगम— सदस्य (उपरोक्त में से वरिष्ठतम आयुक्त अध्यक्ष होगा) "क" वर्गीय विमाणीय स्थायीकरण समिति  1. संबंधित निगम का अपर आयुक्त (स्थापना) — अध्यक्ष  2. संबंधित निगम का निदेशक (शिक्षा) — सदस्य  3. संबंधित निगम का निदेशक (कार्मिक) — सदस्य
13.	वे परिस्थितियां जिनमें नतीं के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	सीधी भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली कें उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनकें नाम पर पवन चोपड़ा उप निदेशक,

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT.

(OFFICE OF THE DIRECTOR OF LOCAL BODIES)

NOTIFICATION

Delhi, the 7th May 2018

No.F.4(30)/RR/LB/2018/CD-000250424/5101-09.—The following regulations, made by the Municipal Corporation of Delhi in exercise of the powers conferred by section 98 read with sub-section (2) of Section 480 and sub-

section (3) of section 484A of the Delhi Municipal Corporation Act, 1957 (66 of 1957) and in supersession of recruitment regulations relating to the post of Assistant Director of Education (Physical) notified vide No. F.13 (103)/99/UD dated, the 27th March, 1995 except as respects things done or omitted to be done such before supersession, after consultation with Union Public Service Commission and approval of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, read with Government of India, Ministry of Home Affairs, notification Number S.O. 3159 dated the 19th October, 1966 the following recruitment regulations for regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director of Education (Physical) in North, South and East Delhi Municipal Corporations, are hereby published for information; namely:

- 1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called Assistant Director of Education (Physical) Recruitment Regulations, 2018.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.
- 2. Number of posts, classification and Level in Pay Matrix. The number of the said posts, their classification and Level in Pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these regulations.
- 3. Method of recruitment, age-limit, qualification etc. Method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said posts, shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.
- 4. Disqualification. No person, -
  - (a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
  - (b) Who, having a spouse living, has entered into or contracted marriage with any person; shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that Government, may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this regulation.


- 5. Power to relax. Where the Government of the National Capital Territory of Delhi is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these regulations with respect to any class or category of persons or posts.
- 6. Saving. Nothing in these regulations shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for candidates of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-Servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Government of India from time to time, in this regard.

## **SCHEDULE**

Name of post.	Number of post.	Classification.	Pay Level in the Pay Matrix.	Whether Selection post or non- selection post.	Age limit for direct recruits.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
(1)	(2)	<sup>2</sup> ⁄₂ : (3)	(4)	(5)	(6)	960 EV <b>(7)</b>
ASSISTANT DIRECTOR OF EDUCATION (PHYSICAL).	Copone Cons	Category 'A'.	Pay Level - 11.	Selection.	Not exceeding 40 years.  Note 1: Relaxable for Government Servants upto five years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.  Note 2:  The crucial date for determining the age-	Essential:  (i) Master degree in Physical Education from a recognized University.  (ii) Master Degree of a recognized University and Degree in Physical Education from a recognized University;  (ii) Seven years experience in imparting training in

limit shall be the physical education in educational institutions or closing date for youth welfare camps with receipt of applications from two years administrative experience. candidates in India and not the closing Desirable : date prescribed for (i) Degree in Education; those in Assam. (ii) Doctorate degree of a recognized University Meghalaya, or equivalent. Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Note: 1 Qualifications are relaxable at the discretion Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh of Union Public Service Division of J&K Commission for reasons to State, Lahaul & Spiti be recorded in writing in District and Pangi case of candidates Sub Division of otherwise well qualified. Chamba District of Note: 2 The qualification Himachal Pradesh, regarding experience is Andaman & relaxable at the discretion of Nocobar Island or the Union Public Service Lakshadweep. Commission for reasons to be recorded in writing, in case of candidates belonging to Scheduled Caste or Scheduled Tribes, if at any. stage of selection the Union Public Service Commission is of the opinion that number sufficient of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the posts reserved for them.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment By promotion/ deputation/ absorption grades from which promotion/ deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
AGE: NO EDUCATIONAL QUALIFICATION: YES.	One Year for Direct recruits.	75% by promotion, 25% by direct recruit- ment.	Promotion: School Inspector (Physical) in Level-10 in the Pay Matrix with five years Service in the Grade rendered after appointment thereto on a regular basis.	Category 'A' Departmental Promotion Committee consisting of:  1. Commissioner, North DMC - Member 2. Commissioner, South DMC	Consultation with the Union Public Service Commission Necessary while making direct recruitment.



By Order and in the Name of the Lt. Governor and of the Lt. Governor and of the National Capital Territory of Delhi.

PAWAN CHOPRA, Dy. Director

RAKESH Deptisity signed by AMESH SURUE Deptision of the SUR

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications. Delhi-110054.